
	<p><b>प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय</b> केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अंचल, लखनऊ 7-ए, अशोक मार्ग, लखनऊ- उ.प्र. 226001 <b>Office of the Pr. Chief Commissioner</b> Central GST &amp; Cen. Excise Zone, Lucknow 7-A, Ashok Marg, Lucknow- UP 226001 <b>(RTI Cell)</b> E-mail: <a href="mailto:ccu-cexlko@nic.in">ccu-cexlko@nic.in</a> Ph./FAX: 0522-2233-052 / 124</p>	
---	---	---

आर.टी.आई. सम्बंधित

**सार्वजनिक सूचना संख्या – 02/2026 दिनांक 16.06.2026**

**Public Notice No. 02/2026 dated 16.06.2026**

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, मुख्य आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लखनऊ अंचल, लखनऊ के पदनाम के सम्बन्ध में।

**Subject: Regarding the designation of the First Appellate Authority under the Right to Information Act, 2005, in the Office of the Principal Chief Commissioner, Central Goods & Services Tax and Central Excise, Lucknow Zone, Lucknow- C/Reg.**

व्यापार, उद्योग और आम जनता को सूचित किया जाता है कि जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 16.06.2026 से अग्रिम आदेश तक के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लखनऊ अंचल, 7-ए, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 के संबंध में, निम्नलिखित अधिकारी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होंगे, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है –

The trade, industry, and the general public are hereby informed that, in the public interest, it has been decided that with effect from 16.06.2026 and until further orders, the following officer shall serve as the First Appellate Authority under Section 19(1) of the RTI Act, 2005, in respect of the Office of the Principal Chief Commissioner, Central Goods & Services Tax and Central Excise, Lucknow Zone, 7-A, Ashok Marg, Lucknow-226001, as specified below:

क्रम संख्या	क्षेत्र	अधिकारी का नाम/ प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
01	प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लखनऊ अंचल, लखनऊ – 226001	श्री गौरव चंदेल, अपर आयुक्त, प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लखनऊ अंचल, लखनऊ, 226001

यह मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लखनऊ अंचल, लखनऊ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Chief Commissioner, Central Goods & Services Tax and Central Excise, Lucknow Zone, Lucknow.

SANJAI KUMAR SRIVASTAVA  
ASSISTANT COMMISSIONER

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लखनऊ अंचल, लखनऊ |
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मेरठ अंचल, मेरठ |
3. मुख्य सूचना आयुक्त, सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनरिका, नई दिल्ली -110067 |
4. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आगरा/कानपुर/लखनऊ/इलाहाबाद/वाराणसी/ऑडिट कानपुर/ ऑडिट लखनऊ/ अपील लखनऊ/ अपील इलाहाबाद |
5. श्री गौरव चंदेल, अपर आयुक्त, प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लखनऊ अंचल |
6. नोडल अधिकारी/केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लखनऊ अंचल |
7. प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय, सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, लखनऊ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी अनुमोदित व्यापार संघ, वाणिज्य एवं उद्योग मंडल |
8. RAC/शिकायत समिति के सभी सदस्य |
9. अधीक्षक (सिस्टम), प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लखनऊ अंचल |
10. नोटिस बोर्ड |

SANJAI KUMAR SRIVASTAVA  
ASSISTANT COMMISSIONER